संख्या-67-2016-1962 /चौदह-4-2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 19 सितम्बर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 में ''वेटलेण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास'' योजना के अन्तर्गत नई मांगों के माध्यम से आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के पत्र सं0-पी-215/36-टी-90 (वेटलैण्डस) दिनांक 19 अगस्त, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत ''वेटलैण्डस का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास'' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक19.10.2015 के अन्तर्गत गठित विभागीय तकनीकी समिति की संस्तुति के अनुसार शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव, साण्डी पक्षी विहार हरदोई, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली के लिए रू0 47.64 लाख एवं जनपद आजमगढ़ स्थित बडैला ताल वेटलेण्डस् हेतु रू0 62.15 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 10979000.00 हजार (रू0 एक करोड़ नौ लाख उन्नायासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	**धनराशि (रू0 हजार में)**
अनुदान संख्या 60-	
पूंजी लेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
19-वेटलैण्डस का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास-	
24-वृहत निर्माण कार्य	10909
42- अन्य व्यय	70
योग	**10979**

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 एक करोड़ नौ लाख उन्यासी हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि नई पौधशालाएं स्थापित नहीं हो रही हैं, पहले से स्थापित पौधशालाओं के लिए उपलब्ध धनराशि तथा इस परियोजना से उपलब्ध धनराशि का लेखा-जोखा अलग-अलग रखा जायेगा ताकि एक ही मद पर दोहरी धनराशि उपलब्ध न हो और प्रश्नगत धनराशि सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात व्यय की जायेगी।

3- योजनान्तर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

4- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समापित पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

6- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

7- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं कृषि वानिकी द्वारा विगत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए शासन को पूर्ण विवरण एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के उक्त सन्दर्भित पत्र संख्या-215/36-टी-90(वेटलैण्डस) दिनांक 19 अगस्त, 2016 में उल्लिखित कार्य मदों में ही किया जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-11-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-1962(1)/चौदह-4-2016 तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय, उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

http://sansanadesh.up.nic.in